



पत्र सं० ४बी/यू.पी./०६/१३/२०१८/एफ.सी./८१

दिनांक: २५.५.१९

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/24596/2017

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दिए गये निर्देशानुसार अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। अतः अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

1. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमाणिक वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी, उ० प्र०।
3. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई, 47, झिम सिटी कालोनी, बाल जीवन घुट्टी के पीछे, सरसोल, जी०टी०रोड, अलीगढ़, उ० प्र०।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

Handwritten signature: *Handwritten signature*

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय) सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्रांक- २४३१ /मैनपुरी/२४५९६/२०१७, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल ०५, २०१८

1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मैनपुरी।

3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 47-ईम सीटी कालोनी, बाल जीवन घुट्टी के पीछे, सरसोल, जी०टी० रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख तत्काल प्रभावी निदेशक, मैनपुरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

कार्यालय वन सार्वजनिक, आगरा वृत्त, आगरा

क्रमांक 4585/141 अ. नं. दिनांक 04/04/2018.

उत्तरिका. उत्राणी मिश्राक (१०० काउन्सलर) ने इस शक्ति के
 देकर कि दीवार (रुपया) आदि (०५) के लिए ०५ प्रमाण में लकड़ा १५
 कागज का ३५०००००० कागज का कागज को।

(डा० प्रशांत कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
— उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन संरक्षक
de आगरा वृत्त आगरा